न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— जोगेन्द्र सिंह , आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 250 / 2023 राजस्व वाद

01. रूपलाल पिता मोती जी तेली, जाति तेली, आयु वयस्क निवासी—उमरी, तहसील करेडा जिला भीलवाडा(राज0)

—— वादीगण

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0), — प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत् तरमीम दुरूस्ती वादपत्र अन्तर्गत धारा—92 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 129, 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित :—

1. श्री कन्हैया लाल सेन —अधिवक्ता वादीगण
2. पेरोकार सरकार ——प्रति.सं. 01

:: निर्णय ::

दिनांक— 01 / 08 / 2025

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादी के विरूद्व वाद बावत घोषणा, तरमीम दुरूस्ती एवं धारा 92—क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, धारा 129, 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद उमरी पटवार हल्का उमरी भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र गोरख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 316 में वर्णित आराजी नम्बर 2945 / 1146 रकबा 0.7588 हैक्टयर, कुल किता 01 कुल रकबा 0.7588 हैक्टयर भूमि स्थित है। वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजीयात राजस्व रेकार्ड मे वादी के नाम पर दर्ज है। जिस पर वादीक के पिता काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहें हैं तथा पूर्व में उक्त आराजी रामलाल, शान्तिलाल पुत्र सुखदेव जाति लखारा निवासी उमरी के नाम पर दर्ज थी तथा जहां पर रामलाल, शान्तिलाल का कब्जा था, उसी अनुसार मौके पर कब्जे के अनुसार नक्शे में तरमीम कर दी गई, जिसके अनुसार रामलाल, शान्तिलाल काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। वादी द्वारा उक्त भूमि रामलाल, शान्तिलाल जरिये विक्रय रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से क्रय कर अपने आधिपत्य में ली तथा जहां पर रामलाल, शान्तिलाल ने वादी को सिपुर्द कर दिया और क्रय दिनांक से वादी उक्त आराजी पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा हैं तथा उक्त आराजी मे लाखो रूपये खर्च करके उपजाउ बनाया है तथा आराजी के चारो ओर सुरक्षा हेतु चार दिवार कर रखी हैं वादी ही काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा हैं। उक्त आराज वादी का क्रय शुदा आराजी हैं, जिस जगह पर वादी का कब्जा हैं, जो वक्त रामलाल, शान्तिलाल के नाम पर दर्ज रेकॉर्ड थी, जो नक्शें में अंकित हैं जहां पर वर्तमान में वादी का कब्जा है तथा रामलाल, शान्तिलाल ने अपनी कब्जे शुदा आराजी का कब्जा विक्रय दिनांक को वादी को सिपुर्द कर दिया था, किन्तु प्रतिवादी के अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों ने वादी की उक्त आराजी को वर्तमान नक्शे में गलत तरीके से तरमीम कर दी हैं, जबकि वादी की क्रय शुदा आराजी सड़क से लगती हुई हैं, जो कि पूर्व के नक्शें में अंकित हैं, किन्तु राजस्व कर्मचारियों ने वादी की आराजी को पूर्व के नक्शे के अनुसार तरमीम नहीं कर सड़क से दूर कब्जे के अनुसार तरमीम नही कर दूसरी जगह गलत रूप से तरमीम कर दी, जिसका उन्हे कोई वैद्यानिक अधिकार नहीं हैं। वादी ने पूर्व नक्शे के अनुसार ही क्रय कर कब्जा प्राप्त कर किया और पूर्व के नक्शे में वर्णित अनुसार ही वादी उक्त आराजी पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा हैं किन्तु राजस्व कर्मचारियों ने वादी की आराजी को सड़क से दूर गलत तरमीम कर दी हैं, जबकि वादी की जमीन जो सड़क के सटमा हैं, जो पूर्व के नक्शे में तरमीम हैं, जिसके अनुसार ही वादी काबिज हैं। वादी को उक्त गलत तरमीम की जानकारी पूर्व में नही दी तथा दिनांक 31.07.2023 को ऑनलाईन नक्शा प्राप्त किया, तो वादी को जानकारी हुई कि वादी के क्रयशुदा आराजी की पूर्व के नक्शे के अनुसार नही होकर सड़क से दूर गलत तरमीम कर दी गई हैं। जिस पर वादी ने पटवारी हल्का से निवेदन किया और उक्त आराजी को पूर्व के नक्शे के अनुसार तरमीम करवाने बाबत् निवेदन किया लेकिन उन्होने इंकार कर दिया। इसलिये वादी की आराजी को वर्तमान में राजस्व नक्शें में तरमीम कर दी गई हैं, को खारिज दुरूस्ती कर वादी की आराजी को पूर्व के नक्शे में की गई तरमीम के अनुसार जहां पर वर्तमान में वादी का कब्जा है। जिसके अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शे में तरमीम किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित व वादी के क्रयशुदा आराजी की पूर्व के नक्शे के अनुसार तरमीम दुरुस्ती हेतु हर खास आम को कोई आपत्ति हो तो आपत्ति दर्ज कराने हेतु जरिये अखवार मे सूचना के जरिये प्रकाशन करवाया गया, प्रतिवादी राज्य सरकार का हक अधिकार प्रभावित नही होने से व मामले मे जवाव पेश नही किया गया पेरोकार सरकार ने तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त मौका रिपोर्ट को ही जवाव होना वताया गया वादी द्वारा अपनी साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र व कब्जे वावत स्वतंत्र गवाह के शपथपत्र पेश किये गये व साथ वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमावंदी व अखवार प्रकाशन की प्रति पेश कर प्रदर्शित करवाये गये। जिसे शामिल पत्रावली की गई।

अधिवक्ता वादी की वहस सुनी गई व अधिवक्ता द्वारा वाद के तथ्यो को दोहराते हुए वादी ही क्रयशुदा आराजी के विधिक वारीस होने से उक्त भूमि की तरमीम पूर्व के नक्शें के अनुसार नहीं होकर सड़क से दूर गलत तरमीम का इन्द्राज दुरुस्ती कर वादी की क्रयशुदा आराजी को वर्तमान नक्शे में तरमीम सड़क के सटमा तरमीम पर दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया, मामले मे हर खास व आम को वादी के नाम पर भूमि दर्ज करने मे आपत्ति आमंत्रित करने पर भी आपत्ति पेश नही हुई है। वादी के शपथपत्र अनुसार वादी मौके पर काविज होकर काश्त कर रहा है, तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार DILRMP योजनान्तर्गत सेग्रीगेशन कार्य के दौरान त्रुटिवंश वर्तमान नक्शें की तरमीम हुई जो उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादी का वादपत्र स्वीकार कर सरहद उमरी पटवार हल्का उमरी भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र गोरख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 316 में वर्णित आराजी नम्वर 2945/1146 रकबा 0.7588 हैक्टयर, कुल किता 01 कुल रकबा 0.7588 हैक्टयर भूमि की तरमीम लटठा नक्शें व तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त प्रस्तावित नक्शे अनुसार तरमीम शुद्व किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त प्रस्तावित नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें। उक्तानुसार डिक्री जारी करे। फरिकेन खर्चा अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 01/08/2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर करेड़ा
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

न्यायालय : उपखण्ड़ अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिकी ::
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :— जोगेन्द्र सिंह , आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 250 / 2023 राजस्व वाद

01. रूपलाल पिता मोती जी तेली, जाति तेली, आयु वयस्क निवासी—उमरी, तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा(राज0) —— वादीगण

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0), — प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत् तरमीम दुरूस्ती वादपत्र अन्तर्गत धारा—92 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 129, 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

वादीगण की ओर से श्री कन्हैया लाल सेन, एडवोकेट और प्रतिवादीगण संख्या 01 की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 01.08.2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिकी की जाती है कि वादी और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि शून्य को दी जायें।

वादी का वादपत्र स्वीकार कर सरहद उमरी पटवार हल्का उमरी भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र गोरख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 316 में वर्णित आराजी नम्बर 2945 / 1146 रकबा 0.7588 हैक्टयर, कुल किता 01 कुल रकबा 0.7588 हैक्टयर भूमि की तरमीम लटठा नक्शें व तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त प्रस्तावित नक्शे अनुसार तरमीम शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त प्रस्तावित नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। फरिकेन खर्चा अपना अपना वहन करे।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

यह डिक्री आज दिनांक 01.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर न्यायालय मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)